Order sheet [Contd]

case No- ba -112/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Pleaders where necessayry

28-03-18 12:00 to 12:30 Pm आवेदक/अभियुक्त सुमेर द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप०। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 222/14 अंतर्गत धारा—302, 307, 323, 294, 147, 148, 149 भा0द0सं० की कैफियत व केस डायरी प्राप्त साथ ही अभिलेखागार भिण्ड से सत्र प्रकरण क्रमांक 122/15 शा0पु0 मालनपुर विरूद्ध सतेन्द्र आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक की ओर से सूची दस्तावेज सहित मेडीकल पर्चे आदि की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है।

आवेदक सुमेर के जमानत आवेदन के साथ उसके पुत्र अरिवन्द सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 है। इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकृति का आवेदन इस न्यायालय में, समकक्ष न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस थाना मालनपुर ने फरियादी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध गलत रूप से तथाकथित अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि उक्त तथाकथित आपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक 63 वर्षीय वृद्ध होकर चलने फिरने में असमर्थ है तथा अक्सर बीमार रहता है। आवेदक के जेल में रहने से सही प्रकार से उपचार भी नहीं हो पा रहा है। उक्त अपराध से संबंधित सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है और वे इसी न्यायालय द्व ारा दोषमुक्त किए जा चुके हैं और आवेदक पर उनसे भिन्न कोई आरोप नहीं हैं। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी एवं मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.11.14 को फरियादी हरेन्द्र सिंह के मकान स्थित ग्राम गुरीखा में सुबह 08:00 बजे के लगभग हरेन्द्र अपने घर पर था, पडोस के रामप्रकाश जाटव ने चाचा प्रेम सिंह को आकर मां बहिन की गंदी गालियां दीं। पानसिंह रामप्रकाश, सुमेरसिंह, बलवीर सिंह, रूप सिंह, धीरसिंह, शैलेश, पुरूषोत्तम छोटे मनीष सतेन्द्र तथा जीवन सिंह सब्बलिया , सिर्या लाठी लोहांगी लेकर एक राय से इकट्ठे होकर हरेन्द्र को मारने के लिए आए तथा सभी लोग मारपीट करने लगे हरेन्द्र के जीवन सिंह ने सब्बलिया मारी, रामप्रकाश ने लाठी मारी चोटें ज्यादा होने से आहत्गण को गोहद अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद सुरेश, महाराज, रामहेत, प्रेमसिंह को ग्वालियर के लिए रैफर किया गया। जहां

उन्हें रीलाइफ अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां पर पुलिस ने हरेन्द्र के लिखाए जाने पर देहाती नालिसी लिखी। दौराने इलाज सुरेश की मृत्यु हो गई। रामहेत के शरीर पर फ्रेक्चर होना पाया गया। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मालनपुर में लिखी गई और अपराध की कायमी की गई।

इस मामले में आवेदक सुमेर सिंह पुत्र लोकमन के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सब्बिलया, लाठी, लोहांगी, सिरया से फिरयादी पक्ष की मारपीट की गई है, जिससे सुरेश की मृत्यु हो गई। आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि सहअभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। परंतु जमानत के इस स्तर पर पूर्व में अन्य सहअभियुक्तगण के विचारण में हुई साक्ष्य और गुण दोषों को विचार में नहीं लिया जा सकता है। आवेदक की ओर से समानता का आधार भी लिया गया है। इस मामले में सर्वप्रथम रूप सिंह की जमानत का आदेश एम.सी.आर.सी. कमांक 8099/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.12.15 को किया गया है, जिसमें विचारण के दौरान हुए चार साक्षियों का उल्लेख किया गया है और विचारण में हुए विलंब के आधार पर रूप सिंह की जमानत का आदेश किया गया है और बाद में समानता के आधार पर कप सिंह की जमानत का आदेश किया गया है और बाद में समानता के आधार पर बलवीर सिंह, जीवन सिंह, रामप्रकाश, धीरसिंह, पुरूषोत्तम, मनीष आदि की जमानत के आदेश हुए हैं। पानसिंह एवं सतेन्द्र जाटव की जामनत के आदेश इस आधार पर हुए है कि चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया था।

यद्यपि आवेदक की आयु 63 वर्ष होना बताई गई है और उसके इलाज संबंधी पर्चे प्रस्तुत किए गए हैं। परंतु आवेदक सुमेर सिंह के मामले में वह प्रारंभ से ही फरार है। उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि उसका मामला अन्य सहअभियुक्तगण के समान कतई नहीं है। मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के कृत्य तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति थाना मालनपुर की ओर केस डायरी सहित वापस भेजी जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर जमानत प्रपत्र सत्र प्रकरण क्रमांक 122/15 में संलग्न

किए जावे।

WINDS IN

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

